

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.



मि०न० -119/2019

अनवान : -

1. नत्थूराम उर्फ नवीन राजन पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
3. बलवीर सिंह पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।

वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
2. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादीगण श्री विक्रम शर्मा व वकिल प्रतिवादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 47/33 के मु० न० 53 के किला न० 5 ता 9 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 12 ता 15 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 18 की 0.253है० इस प्रकार कुल 2.530है० नहरी खातेदारी है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं 1 का 1/4 भाग खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें से

खातेदारी वादी सं 1 नत्थूराम उर्फ नवीन राजन - मु० न० 53 के किला न० 7 की 0.253है० किला न० 13/2 की पूर्वी तरफ की उतर से दक्षिण 0.013है० किला न० 14 की 0.253है० किला न० 15/1 की पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.115है० इस प्रकार कुल 0.634है० नहरी कृषी भूमि जिसमें से मु० न० 53 के किला न० 7 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता दर्ज कर उक्त भूमि का खाता वादी सं 1 के नाम अलग से दर्ज किया जावे।

खातेदारी वादी सं 2 राजेन्द्र - मु० न० 53 के किला न० 5 की 0.253है० किला न० 6 की 0.253है० किला न० 15/2 की 0.139है० जो उक्त किला के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में है इस प्रकार कुल 0.645है० कृषी भूमि है जिसमें किला न० 5 के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत होगा। राजेन्द्र के हिस्से में किला न० 6 की उतरी और पश्चिम तरफ की कुंट की सवा आठ गुणा सवा आठ फिट भूमि राजेन्द्र के आवागमन के लिए रास्ता के रूप में दर्ज कर उक्त भूमि वादी सं 2 के नाम अलग से खाता में दर्ज की जावे।

खातेदारी वादी सं 3 बलवीर सिंह:- मु० न० 53 के किला न० 8 की 0.253है० किला न० 13/1 की पश्चिमी तरफ की 0.240है० किला न० 18/2 की पूर्वी तरफ की उतर से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

दक्षिण लम्बाई में 0.139 है 0 कुल 0.632 है 0 । जिसमें मु 0 न 0 53 के किला न 0 8 में उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता दर्ज करते हुए उक्त भूमि वादी सं 3 के नाम अलग से खाता में दर्ज की जावें।

खातेदारी प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह :- मु 0 न 0 53 के किला न 0 9 की 0.253 है 0 किला न 0 12 की 0.253 है 0 किला न 0 18/1 की पश्चिमी तरफ की उत्तर से दक्षिण लम्बाई में 0.114 है 0 कुल तादादी 0.620 है 0 भूमि प्रतिवादी अमरसिंह के नाम अलग से दर्ज की जावें। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह के नामा खाता अलग-अलग दर्ज कर व रास्ता आदि का अकंन राजस्व रिकार्ड में किया जावें। वाद भूमि वादी सं 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह के रहन है इसलिए वादी राजेन्द्र व प्रतिवादी अमरसिंह के विभाजित हिस्सा पर रहननामा यथावत रखा जावें। उपरोक्ता अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.



मि०न० -119/2019

अनवान : -

1. नत्थूराम उर्फ नवीन राजन पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
3. बलवीर सिंह पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।

वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह भादरा।
2. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबड़ी तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत जोत विभाजन एवं खाता तक्सीम अन्तर्गत
धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-विक्रम शर्मा वादीगण

श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 13/3/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 47/33 के मु० न० 53 के किला न० 5 ता 9 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 12 ता 15 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 18 की 0.253है० इस प्रकार कुल 2.530है० नहरी खातेदारी है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं 1 का 1/4 भाग खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि का अच्छी व न्याउ के हिसाब से विभाजन कर रखा है जो निम्न प्रकार से है-

खातेदारी वादी सं 1 नत्थूराम उर्फ नवीन राजन:-मु०न० 53 के किला न० 7 की 0.253है० किला न० 13/2 की पूर्वी तरफ की उतर से दक्षिण 0.013है० किला० न० 14 की 0.253है० किला न० 15/1 की पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.115है० इस प्रकार कुल 0.634है० नहरी कृषी भूमि जिसमें से मु० न० 53 के किला न० 7 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत होगा।

खातेदारी वादी सं 2 राजेन्द्र:- मु०न० 53 के किला न० 5 की 0.253है० किला न० 6 की 0.253है० किला न० 15/2 की 0.139है० जो उक्त किला के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में है इस प्रकार कुल 0.645है० कृषी भूमि है जिसमें किला न० 5 के पश्चिमी

तरफ से उतर से दक्षिण 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत होगा। राजेन्द्र के हिस्से में किला न० 6 की उतरी और पश्चिम तरफ की कुंट की सवा आठ गुणा सवा आठ फिट भूमि राजेन्द्र के आवागमन के हेतु खाली रहेगा।

खातेदारी वादी सं 3 बलवीर सिंह:- मु०न० 53 के किला न० 8 की 0.253है० किला न० 13/1 की पश्चिमी तरफ की 0.240है० किला न० 18/2 की पूर्वी तरफ की उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.139 है० कुल 0.632है० । जिसमें मु० न० 53 के किला न० 8 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता रहेगा।

खातेदारी प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह :- मु०न० 53 के किला न० 9 की 0.253है० किला न० 12 की 0.253 है० किला न० 18/1 की पश्चिमी तरफ की उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.114है० कुल तादादी 0.620 है०।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है। पक्षकारान को वाद भूमि विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह 1/4-1/4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है। अतः पक्षकारान ने जोत विभाजन एवं खाता तक्सीम हेतु वाद पेश किया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादीगण सं 1 ता 3 व प्रतिवादी सं 1 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं 2 व 3 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में राजेन्द्र पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी छानीबड़ी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रति नक्शा वाद भूमि प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 2 जेजीडब्ल्यू सवत 2073-76 खाता सं 38 प्रदर्श 2 वाहमी विभाजन हमारे द्वारा तैयार रंगदार नक्शा प्रदर्श 3 जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी बलवीर व ई से एफ नवीन राजन तथा एक्स स्थान पर अमरसिंह के अंगुठा निशानी है प्रदर्शित करवाये। चूंकि जोत विभाजन का वाद है व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए पत्रावली सीधे अंतिम बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादीगण ने रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 47/33 के मु० न० 53 के किला न० 5 ता 9 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 12 ता 15 प्रत्येक की 0.253है० किला न० 18 की 0.253है० इस

प्रकार कुल 2.530 है नहरी खातेदारी है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं 1 का 1/4 भाग खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें पक्षकारान ने अच्छी व न्याउ के हिसाब से वाहमी बंटवारा कर रखा है। जो उपर वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के हिस्से अनुसार प्रदर्शित कर रखा है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 47/33 के मु0 न0 53 के किला न0 5 ता 9 प्रत्येक की 0.253 है किला न0 12 ता 15 प्रत्येक की 0.253 है किला न0 18 की 0.253 है इस प्रकार कुल 2.530 है नहरी खातेदारी है। जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/4 भाग व प्रतिवादी सं 1 का 1/4 भाग खातेदारी कृषी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादीगण सं 1 ता 3 तथा प्रतिवादी सं 1 का खाता विभाजन कर उपर वर्णित वाद भूमि पक्षकारान के हिस्से में निम्नानुसार रहेगी—

खातेदारी वादी सं 1 नत्थूराम उर्फ नवीन राजनः—मु0 न0 53 के किला न0 7 की 0.253 है किला न0 13/2 की पूर्वी तरफ की उतर से दक्षिण 0.013 है किला न0 14 की 0.253 है किला न0 15/1 की पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.115 है इस प्रकार कुल 0.634 है नहरी कृषी भूमि जिसमें से मु0 न0 53 के किला न0 7 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता दर्ज कर उक्त भूमि का खाता वादी सं 1 के नाम अलग से दर्ज किया जावे।

खातेदारी वादी सं 2 राजेन्द्रः— मु0 न0 53 के किला न0 5 की 0.253 है किला न0 6 की 0.253 है किला न0 15/2 की 0.139 है जो उक्त किला के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण लम्बाई में है इस प्रकार कुल 0.645 है कृषी भूमि है जिसमें किला न0 5 के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण 1 बिस्वा आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत होगा। राजेन्द्र के हिस्से में किला न0 6 की उतरी और पश्चिम तरफ की कुंट की सवा आठ गुणा सवा आठ फिट भूमि राजेन्द्र के आवागमन के लिए रास्ता के रूप दर्ज कर उक्त भूमि वादी सं 2 के नाम अलग से खाता में दर्ज की जावें।

खातेदारी वादी सं 3 बलवीर सिंहः— मु0 न0 53 के किला न0 8 की 0.253 है किला न0 13/1 की पश्चिमी तरफ की 0.240 है किला न0 18/2 की पूर्वी तरफ की उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.139 है कुल 0.632 है। जिसमें मु0 न0 53 के किला न0 8 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता दर्ज करते हुए उक्त भूमि वादी सं 3 के नाम अलग से खाता में दर्ज की जावे।

W
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह :- मु0न0 53 के किला न0 9 की 0.253 है0 किला न0 12 की 0.253 है0 किला न0 18/1 की पश्चिमी तरफ की उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.114 है0 कुल तादादी 0.620 है0 भूमि प्रतिवादी अमरसिंह के नाम अलग से दर्ज की जावे।

इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 के नाम खाता अलग-अलग दर्ज कर व रास्ता आदि का अकंन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

वाद भूमि वादी सं 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी सं 1 अमरसिंह के रहन है अतः वादी राजेन्द्र व प्रतिवादी अमरसिंह के विभाजित हिस्सा पर रहननामा यथावत रखते हुए राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



^{VD}
(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़